न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मु0नं0 :– 299/2025
निर्णय दिनांक :– 17.11.2025
बइजलास :– राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. केदार नाथ सोनी पुत्र शिवराज
2. गिरिराज प्रसाद सोनी पुत्र शिवराज
3. अशोक कुमार सोनी पुत्र शिवराज
4. मुन्नी देवी सोनी पुत्री शिवराज
5. कृष्णा देवी सोनी पुत्री शिवराज
6. विमला देवी सोनी पुत्री शिवराज
7. मोहन मुरारी सोनी पुत्र शिवराज
8. रामकिशोर सोनी पुत्र शिवराज
9. पुष्पा देवी सोनी पुत्री शिवराज समस्त जातियान सुनार निवासीयान ग्राम निमेंडा तहसील फागी जिला जयपुर हाल निवासी 109 राणा प्रताप नगर बृजलाल मंदिर स्कूल के पीछे, झोटवाडा जयपुर राज0।

वादीगण

बनाम

1. तहसीलदार, तहसील फागी जिला जयपुर राज.।
2. नायब तहसीलदार, उपतहसील नीमेंडा जिला जयपुर, राज0।

प्रतिवादीगण

उपस्थिति विद्वान अधिवक्ता :– श्री नेतराम जाट वकील प्रार्थीगण

इन्द्राज दुरूस्ती बाबत्

निर्णय दिनांकः– 17.11.2025

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 749 खसरा नं. 1581/16 रकबा 2.0232 हैक्टयर वाके ग्राम नीमेंडा भू.अभि. क्षेत्र नीमेंडा उपतहसील नीमेंडा तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है। जिसमें वादीगण के पिता श्योराज पुत्र जीवण हिस्सा सम्पूर्ण है तथा उनकी मृत्युपरान्त वादीगण उक्त हिस्से के खातेदार काश्तकार है एवं मौके पर काबिज काश्त है लगान सरकारी जमा कराते आ रहे है। वाद पत्र के मद नं.1 में वर्णित आराजी वादीगण के पिता श्योराज पुत्र जीवण के नाम आवंटन दिनांक 24/07/1960 को हुई तथा उसके बाद से निरन्तर आज दिनांक तक वादीगण के पिता के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड रही

उपखण्ड अधिकारी
फागी

है। वादीगण के पिता के सही नाम होने के सन्दर्भ में किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं लिये जाने व जांच नहीं किये जाने के कारण शिवराज पुत्र रामजीवण सही नाम के स्थान पर बोलते नाम श्योराज पुत्र जीवण के नाम से भूमि का आवंटन कर उक्त आवंटन का नामान्तकरण अलाटमेंट कमेठी द्वारा नामान्तकरण संख्या 587 दिनांक 24/07/1960 के अनुसार खोला जाकर श्योराज पुत्र जीवण कौम सुनार सा देह के नाम स्वीकार किया गया। वादीगण के पिता अपने परिवार को चलाने के लिए व्यवसाय में व्यस्त होने से राजस्व रिकार्ड को इन्द्राज के बारे में जानकारी नही रख सका। इस कारण मौजूदा ग्रामवासियो व परिवारजन द्वारा बताये बोलते नामो के आधार पर राजस्व कर कानूनो द्वारा राजस्व रिकार्ड में शिवराज पुत्र रामजीवण के स्थान पर श्योराज पुत्र जीवण कर दिया गया। जबकि उक्त दोनो नाम वादीगण के पिता के ही है। उक्त नामो से ग्राम नीमेंडा तहसील फागी में अन्य व्यक्ति नही है। वादीगण के पिता के समस्त दस्तावेज शिवराज पुत्र रामजीवण के नाम से बने है। राशन कार्ड व मृत्यु प्रमाण पत्र में यही नाम अंकित है जो सही है। इसलिए वादीगण के पिता का नाम उक्त दस्तावेजात के आधार पर सही किया जाना न्यायिक हित में अतिआवश्यक है। वादी के राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अन्य सभी रिकार्ड में वादीगण के पिता का नाम शिवराज पुत्र रामजीवण है व वादीगण के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र में भी शिवराज पुत्र रामजीवण के नाम से जारी किया हुआ है। वादीगण के पिता साक्षर व ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति थे। जिनको राजस्व रिकार्ड में राज कर्मचारीयो द्वारा सहवन से गलत नाम दर्ज करने की जानकारी प्रारम्भ से ही नहीं रही थी। दिनांक 28/12/2010 को वादीगण के पिता की मृत्यु हो जाने के बाद दिनांक 15/05/2025 को अपनी आराजी का विरासत का नामान्तकरण खुलवाने के लिए के तहसील कार्यालय फागी व उपतहसील कार्यालय नीमेडा में गये तो पता चला कि वादीगण के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में सहवन से गलत दर्ज कर दिया है उक्त गलती को दुरूस्त कराने के लिये जब वादीगण प्रतिवादीगण के पास गया तो प्रतिवादीगण ने दिनांक 15/05/2025 को उक्त गलती को दुरूस्त करने से इंकार कर दिया एवं मान्य न्यायालय में कार्यवाही करने के लिये कहा इसलिये यह वाद प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। वादीगण के पिता साक्षर व ग्रामीण परिवेश होने के कारण राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता का नाम व वल्दीयत को गलत दर्ज कर दिया गया एवं जिसे दुरुस्त किया जाना आवश्यक है एवं दुरूस्ती के लिये उक्त वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। वादीगण काश्तकार पेशा व्यक्ति है जिसकी आजीविका का एकमात्र साधन उक्त आराजी ही है यदि इसे दुरूस्त नहीं किया गया तो वादी के विधिक अधिकारों का हनन होगा एवं वादी को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। उक्त वाद में प्रतिवादी राज्य सरकार का कर्मचारी है जिसके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व 2 माह का कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक है। परन्तु मामला अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण उक्त अवधि वेव फरमाई जाकर न्यायालय की अनुमति से उक्त वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। वादीगण को वाद कारण दिनांक 15/05/2025 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के पिता के नाम को दुरूस्त करने से इंकार करने एवं मान्य न्यायालय से आदेश लाने का कहने पर उक्त वाद मान्य न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। वाद वादीगण अन्दर मियाद प्रस्तुत है। विवादग्रस्त आराजी श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने ही वाद का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार मान्य न्यायालय को प्राप्त है।

उपखण्ड अधिकारी
फागी

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जारी की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित हुए तथा जवाब पेश किया। जिसे शामिल मिसल किया गया तथा अपने जवाब में बताया कि वर्तमान जमाबंदी ग्राम नीमेडा संवत 2075–2078 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2020) से स्थायी के खाता सं. 749 के आराजी खसरा नं. 1581/16 रकबा 2.0232 हैक्टेयर में श्योराज पुत्र जीवण हिस्सा पूर्ण जाति सुनार सा. देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। ग्राम नीमेडा के नामांतकरण सं. 345 के द्वारा सिवायचक बारानी खसरा नं. 1581 मी. रकबा 8 बीघा से आवंटन सं. 597 दिनांक 24.07.1960 के द्वारा श्योराज पुत्र जीवण कौम सुनार सा. देह के नाम तत्कालिन पटवार हल्का नीमेडा के द्वारा दिनांक 18.04.1964 दर्ज किया गया। जिसे दिनांक 18.05.1964 को नायब तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया गया था। पटवार हल्का नीमेडा से प्राप्त फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 31.10.2025 के अनुसार ग्राम नीमेडा में शिवराज पुत्र जीवण को ग्रामीण बोलचाल मे श्योराज पुत्र जीवण के नाम से पुकार जाता था। शिवराज पुत्र रामजीवण व श्योराज पुत्र जीवण अलग–अलग व्यक्ति न होकर दोनो नाम का एक ही व्यक्ति था।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थना पत्र दुरूस्ती इन्द्राज बाबत प्रस्तुत किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 वाके ग्राम नीमेडा के खाता संख्या 749 में वादी रिकार्डेड खातेदार है। तहसीलदार फागी द्वारा पेश रिपोर्ट अनुसार श्योराज पुत्र जीवण व शिवराज पुत्र रामजीवण एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेज यथा राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि में नाम शिवराज पुत्र रामजीवण दर्ज है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक मे न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खतौनी संख्या 749 खसरा नं. 1581/16 रकबा 2.0232 हैक्टयर वाके ग्राम नीमेंडा भू.अभि. क्षेत्र नीमेंडा

उपखण्ड अधिकारी
फागी

उपतहसील नीमेंडा तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है आराजीयात में वादी का नाम श्योराज पुत्र जीवण के स्थान पर सही नाम शिवराज पुत्र रामजीवण दुरुस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है

निर्णय आज दिनांक 17.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राकेश कुमार ॥)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

सत्यमेव जयते